बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

संख्या :– 5 नि.गो.वि. (1) 05/2024–..... डा. सूर्य नारायण सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध मुख्य रूप से दो आरोप के लिए आरोप पत्र गठित है, जिसका वर्णन निम्नवत है :–

(i) डा. मुकेश सहाय, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, सदर छपरा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा उनके मातहतों के समक्ष अपमानित करने का आरोप।

(ii) क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा के द्वारा जिला पशुपालन कार्यालय, छपरा के दवाओं, औषधियों के भौतिक सत्यापन हेतु निर्धारित की गयी विभिन्न तिथियों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, जाँच में सहयोग नहीं करने, कार्यो में लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने का आरोप।

उक्त गठित आरोप के लिए डा. सूर्य नारायण सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक 231 नि.गो. दिनांक 28.05.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही के लिए निदेशक, पशुपालन जाँच पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

डा. सिंह के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन के पत्रांक–85 (निदे.को.) दिनांक–31.12.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि आरोपित पदाधिकारी डा. सूर्य नारायण सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति विशेष उप निदेशक (पवि), वृहत पशु विकास परियोजना (मु.स्तर) बरौनी – बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रमाण/साक्ष्य नहीं दिया गया। जबकि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ने साक्ष्यों एवं आरोपों को प्रमाणित किया। सम्यक समीक्षोपरांत यह पाया गया कि डा. सूर्य नारायण सिंह, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति विशेष उप निदेशक (पवि), वृहत पशु विकास परियोजना (मु.स्तर), बरौनी – बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (3) में वर्णित प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक 11 नि.गो. दिनांक 13.01.2026 द्वारा डा. सिंह से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त आलोक में डा. सिंह द्वारा पत्रांक 27, दिनांक 18.02.2026 से समर्पित लिखित अभ्यावेदन में दिनांक 02.05.2024 को मासिक बैठक में डा. मुकेश सहाय, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी सदर छपरा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा मातहतो के समक्ष अपमानित करने संबंधी आरोप के संबंध में अपने अंकित किया गया कि जाँच प्रधिकार ने अपने जाँच प्रतिवेदन में ना तो शिकायतकर्त्ता की गवाही ली है और ना ही शिकायत पत्र देखने एवं पढ़ने की चर्चा की है। शिकायतकर्त्ता का गवाह के रूप में परीक्षण ही नहीं कराया गया है तो ऐसे में उन्हें शिकायतकर्त्ता का प्रतिपरिक्षण करने के अधिकार से वंचित रखा गया है।

उक्त आलोक में मामले की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि कि आरोप–पत्र के चतुर्थ भाग पर साक्ष्यों की सूची में डा. उदय कुमार, डा. रहमत अली अंसारी, डा. विनीता यशवीर एवं डा. मेनका का नाम अंकित है। जाँच पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 40 (निदे.को.) दिनांक 20.08.2025 द्वारा जाँच

केक्रम में आरोपित पदाधिकारी द्वारा गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरिक्षण करने संबंधी अनुरोध पर जाँच पदाधिकारी द्वारा उक्त अंकित गवाहों को सुनवाई की अगली तिथि पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। दो गवाहों यथा डा॰ उदय एवं डा॰ रहमत अली अंसारी दिनांक 08.09.2025 को हुई सुनवाई में उपस्थित हुए तथा लिखित रूप में लगाये गये आरोपों को उनदोनों के द्वारा सही बतलाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी द्वारा गवाहों को परीक्षण एवं प्रतिपरिक्षण के लिए बुलाया गया था परंतु उक्त तिथि दिनांक 08.09.2025 को सूचित करने के बावजूद भी आरोपित पदाधिकारी डा॰ सूर्य नारायण सिंह अनुपस्थित थे। डा॰ सिंह द्वारा अपने बचाव के लिए लिखित अभ्यावेदन के साथ साक्ष्य के रूप में पेन ड्राइव समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि डा॰ सिंह द्वारा उपलब्ध कराये गये पेन ड्राइव में कोई साक्ष्य या तथ्य स्पष्ट नहीं था। उक्त पेन ड्राइव में मात्र बैठक की विडियों रिर्काडिंग थी।

आरोपी पदाधिकारी डा॰ सिंह द्वारा उपरोक्त कंडिका–1 (i) में अंकित आरोप के संदर्भ में अपने लिखित अभ्यावेदन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके कथन को सही माना जा सके।

उक्त आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) में वर्णित प्रावधानों के तहत डा॰ सूर्य नारायण सिंह, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत का कुल 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन एक वर्ष के लिए रोके जाने का निर्णय लिया गया है।

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 375 नि॰गो॰, दिनांक 22.07.2026 द्वारा दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 2427, दिनांक 13.10.2026 द्वारा डा॰ सिंह के उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

अतः सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में डा॰ सूर्य नारायण सिंह, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत के कुल 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन पर एक वर्ष के लिए रोक लगायी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि॰गो॰वि॰ (1) 05/2024**– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैदानिको) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– **5 नि॰गो॰वि॰ (1) 05/2024**– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, छपरा/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि.गो.वि. (1) 05/2024– 565 नि.गो./ पटना–15, दिनांक– 12/11/26

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा/बेगूसराय/विशेष उपनिदेशक (पवि), वृहत पशु विकास परियोजना (मुस्तरी) बरौनी–बेगूसराय/डा॰ सूर्य नारायण सिंह, तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा सम्प्रति सेवानिवृत **पत्राचार पता**– पिता– स्व॰ सोना लाल सिंह, ग्राम/मोहल्ला– यारपुर, तीजा देवी भवन, पो॰– पटना जी॰पी॰ओ॰ थाना– गर्दनीबाग, बिहार, पटना– 800001, मोबाईल नं॰– 8210736120/प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई॰टी॰ प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.11.26

सरकार के संयुक्त सचिव।